न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32 / 2012	8.8.2012	29.9.2025

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. परसादी पुत्र लल्लू जाति माली निवासी वाटरवर्क्स पम्प हाउस के सामने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
2. बीरवल पुत्र प्रभु जाति माली निवासी वाटरवर्क्स पम्प हाउस के सामने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
3. मुंशी पुत्र प्रभु जाति माली निवासी वाटरवर्क्स पम्प हाउस के सामने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
4. मुकेश पुत्र प्रभु जाति माली निवासी वाटरवर्क्स पम्प हाउस के सामने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
5. कमलेश पुत्र प्रभु जाति माली निवासी वाटरवर्क्स पम्प हाउस के सामने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
6. श्रीमति नवली पत्नि प्रभु जाति माली निवासी वाटरवर्क्स पम्प हाउस के सामने, मिर्जापुर रोड, गंगापुर सिटी
7. श्रीमति धनवन्ती पुत्री प्रभु पत्नि रामकरणा जाति माली निवासी नन्दपुरा तहसील गंगापुर सिटी
8. श्रीमति कल्लो पुत्री प्रभु पत्नि बत्तीलाल जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी, पैरोकार सरकार
श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गंगापुर के हाल ख0नं0 413 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 422 रकबा 0.45 है0 मुताबिक जमाबंदी सं0 2068–2071 में प्रभु, परसादी [illegible] लल्लू कौम माली सा0देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदार प्रभु [illegible] चुका है जिसके वारिस बीरवल, मुंशी, मुकेश, कमलेश पुत्र, [illegible], कल्लो पुत्रियां प्रभु नवली पत्नि प्रभु हैं। उपरोक्त भूमि कृषि भूमि है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

आराजी ख0नं0 413 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 422 रकबा 0.45 है0 में आवासीय मकानों का निर्माण कर निवास किया जा रहा है तथा ख0नं0 422 में आरामशीन चल रही है। विधि अनुसार कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि में रिहायशी व अन्य निर्माण करके खुर्द–बुर्द करने पर अप्रार्थीगण आमादा हैं इसलिए भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम गंगापुर के ख0नं0 413 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 422 रकबा 0.45 है0 को सिवायचक घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की पैत्रक, कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर अप्रार्थीगण अपने परिवार का पालन करते चले आ रहे हैं। भूमि वर्तमान में कृषि प्रयोजनार्थ काम आ रही है। उपरोक्त भूमि को अप्रार्थीगण अकृषि में परिवर्तन नहीं कराना चाहते हैं ना ही इसकी मंशा रखते हैं। अप्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि में कोई मकान नहीं बनाए हैं ना ही किसी तरह की आरामशीन चलाई जा रही है। पटवारी हलका ने अप्रार्थीगण को सूचित किए बिना उनकी अनुपस्थिति में मनमाने रूप से रिपोर्ट तैयार की है। जबाब के विशेष विवरण में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 408, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 ग्राम गंगापुर अप्रार्थीगण की पैत्रक आराजी है जो कृषि भूमि है एवं इसका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ ही हो रहा है। अप्रार्थीगण इस भूमि पर काश्त कर उससे प्राप्त आय से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। यह भूमि ही अप्रार्थीगण की आय का मुख्य स्त्रोत है। यदि भूमि को सिवायचक घोषित कर अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के परिवारजन के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जबाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया भूमि ख0नं0 413 रकबा 22 एयर, ख0नं0 422 रकबा 45 एयर ग्राम गंगापुर खातेदार प्रभु, परसादी पुत्र लल्लू माली की खातेदारी में दर्ज रही है। खातेदार प्रभु की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 7 उसके वारिस हैं।

——वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0)

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

2. आया उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण ने आवासीय भवनों का निर्माण कर लिया है एवं भूमि ख0नं0 422 में आरामशीन चल रही है। ——वादी

3. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को कृषि कार्य में नहीं लिया जाकर अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं वादी वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज करवाने व भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। ——वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैत्रक भूमि है एवं इसमें निर्माणाधीन मकान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सीमा के तहत ही बने हुए हैं। पटवारी हलका द्वारा मौका देखे बिना ही रिपोर्ट की गई हे। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को कृषि उपयोगार्थ ही काम में लिया जा रहा है। दावा वादी खारिज होने योग्य है। ——प्रतिवादीगण

5. अनुतोष।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने रिपोर्ट पटवारी दिनांक 17.5.2012, नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने के कारण एवं पक्षकारों की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रकरण में उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी बहस में कहा कि भूमि ख0नं0 413 रकबा 0.22 है0 एवं ख0नं0 422 रकबा 0.45 है0 ग्राम गंगापुर को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लेने के कारण इन दोनों नम्बरों की भूमि को सिवायचक किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे एवं भूमि का कब्जा राज्य सरकार को संभलाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं तहसील कार्यालय में उपलब्ध ख0नं0 413 व 422 ग्राम गंगापुर की वर्तमान जमाबंदी दिखवाई गई। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार भूमि ख0नं0 422 रकबा 0.45 है0 वर्तमान में [illegible] के नाम गै0मु0आबादी के रूप में दर्ज हो गई है इसलिए इस नम्बर को अब सिवायचक किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।ख0नं0 413 रकबा 0.22 है0 में अप्रार्थीगण ने उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

द्वारा कृषि कार्य करना अपने जबाब में बताया है परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए अप्रार्थीगण के जबाब में वर्णित इस तथ्य को दस्तावेज के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 413 रकबा 0.22 है0 ग्राम गंगापुर को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

निर्णय की प्रतिलिपि पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज.) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:10:13 IST
Reason: SelfAttested